

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
194	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.677) दि. 12-03-2018 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	वर्ष 2016-17 में खरगोन जिले के उद्यानिकी विभाग की समस्त योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों की नामवार संख्यात्मक जानकारी की सूची एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी विभागीय नीति/निर्देश संबंधी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया जाना।	(1) अध्यक्ष महोदय :- उनको आप सूची उपलब्ध करा दें। (2) माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा देंगे। (3) अलग से जानकारी चाह रहे है तो वह हम उपलब्ध करा देंगे। (4) नामवार उनको अलग से उपलब्ध करा देंगे। (5) अलग से हम उपलब्ध करा देंगे। (6) सूची उपलब्ध करा देंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
195	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.3191) दि. 12-03-2018 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	वर्ष 2016-17 में कैलारस विकासखण्ड में किसानों को बंडफार्मर अनुदान तथा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किसानों को बीज वितरण में अनियमितता की जांच वर्तमान में पदस्थ एस.ए.डी.ओ. को हटा कर की जाना ।	(1) सदस्य कुछ प्रमाण देंगे या लिखित में देंगे कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है और तथ्यात्मक देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे । (2) उसको हटाकर जांच करा लेंगे । (3) उसको तत्काल हटाकर जांच करा लेंगे ।		
196	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.1109) दि. 12-03-2018 (श्रीमती ममता मीना)	कृषि उपज मंडी समिति गुना में पुराने मंडी प्रांगण में कृषि उपज व्यापार हेतु आवंटित भूखण्डों का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	जी हों । नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों की जांच अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड को सौंपी गई है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
197	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्रं.1375) दि. 12-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	(1) कृषि उपज मंडी समिति नागौद जिला सतना में भावान्तर योजनान्तर्गत प्राईम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा दो डाटा एन्ट्री आपरेटर की उपस्थिति मान्य किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही । (2) मंडी समिति नागोद के सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) इस विषय पर माननीय विधायक महोदय द्वारा की गई शिकायत एवं मंडी समिति द्वारा पारित निन्दा प्रस्ताव के संबंध में उपसंचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा से जांच कराई जा रही है । जांच निष्कर्ष में गुण-दोषों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा । (2) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
198	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.1376) दि. 12-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	(1) प्रश्न क्रमांक 3791 दिनांक 10.03.2016 के संदर्भ में कृषि उपज मंडी समिति कटनी की दाल मिलों की जांच एवं कार्यवाही । (2) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में बिना अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराये कार्य करने वाली फर्मों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाना ।	(1) पांच सदस्यीय दल का गठन किया गया है, जांच कार्यवाही प्रचलन में है । (2) शेष 24 फर्मों के अनुज्ञप्ति के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में होने से परीक्षण उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
199	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.2504) दि. 12-03-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	भोपाल संभाग में भावान्तर योजना के तहत किसानों द्वारा बेची गई कृषि उपज की राशि का भुगतान किया जाना।	पंजीकृत फसल का नाम, विक्रय उपज की मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि विसंगति में निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
200	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.2877) दि. 12-03-2018 (श्री गिरीश भंडारी)	नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसानों को भावान्तर योजना अंतर्गत सोयाबीन फसल का पंजीयन उपरांत भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना.	कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियों के सतत् सुधार एवं सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
201	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.146 (प्रश्न क्रं.3062) दि. 12-03-2018 (श्री नीलेश अवस्थी)	(1) कृषि उपज मंडी कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 के लेखा सत्यापन में की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड को प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही। (2) शेष छः फर्मों के सत्यापन के संबंधित अभिलेख गुम होने के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना. (3) आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा सचिव मण्डी कटनी से अभिलेखों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने जाने बाबत.	(1) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधितों के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) शेष छः फर्मों के लेखा सत्यापन का कार्य प्रचलन में है, सत्यापन की कार्यवाही उपरांत उक्त फर्मों के गुम/गायब हुये अभिलेख की स्थिति पाये जाने पर संबंधितों के दोषिता का निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (3) जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।		
202	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.152 (प्रश्न क्रं.3179) दि. 12-03-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के 26 से 35 वर्ष की सेवापूर्ण कर चुके कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों स्थायीकर्मि श्रेणी दिये जाने के साथ ही विनियोजन की कार्यवाही शीघ्र की जाना।	दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को स्थायी को स्थायी कर्मि श्रेणी दिये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में मंडी समिति कटनी के अंतर्गत प्रस्ताव पारित करते हुये विनियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
203	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.170 (प्रश्न क्रं.3309) दि. 12-03-2018 (श्री कमलेश शाह)	इन्दौर संभाग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी की फसल प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो जाने पर प्रभावित कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिया जाना.	प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के एवज में दावा राशि का आंकलन एवं भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।		
204	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1388) दि. 12-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	प्रश्न क्रमांक 213 दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में सतना जिले में बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	शासन द्वारा संबंधित दोषी अधिकारी श्री ए.पी. सुमन, तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना के विरुद्ध शासन के आदेश क्रमांक एफ-4 ए-12/2017/14-1, दिनांक 28.8.2017 से विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
205	अतारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्रं.2791) दि. 12-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	प्रदेश में भावान्तर योजना अंतर्गत कृषकों को फसलों का भुगतान किया जाना.	इस योजना के पोर्टल पर कुछ पंजीकृत किसानों के दर्ज नाम, विक्रय संव्यवहार, का इंद्राज, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आईएफएससी कोड, बोनी का रकबा आदि में तकनीकी त्रुटि सुधार प्रक्रियाधीन होने से भुगतान शेष है।		
206	अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.2898) दि. 12-03-2018 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील अन्तर्गत बीमित कृषकों को रबी एवं खरीफ की फसलों की बीमा राशि का भुगतान किया जाना.	रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
207	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.3175) दि. 12-03-2018 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	भीकनगांव जनपद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नुरियाखेड़ी से मेहत्याखेड़ी के मध्य मार्ग का निर्माण, डामरीकरण तथा बीच नालों पर पुलिया निर्माण किया जाना।	(1) यह कार्य 85-सी राहत कार्य में किया गया है। अभी 2011-12 में यह सड़क जो कि दो किलोमीटर है, डामरीकृत कराई गई है। इसमें पुलियों की जो मांग माननीय विधायक जी ने की है उसका प्रस्ताव मांगकर हम परीक्षण करा लेंगे। (2) उसमें हम लोग इसको शामिल करेंगे।		
208	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1603) दि. 12-03-2018 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा)	एच.एस. 31 लेबड़ से मुलथान फोरलेन मार्ग का संधारण संबंधित कम्पनी द्वारा अनुबंध के अनुसार नहीं किये जाने से इस मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं की जांच चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी की जांच प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या की उपस्थिति में कराया जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना एवं शेष सड़क का निर्माण कार्यशीघ्र प्रारंभ किया जाना तथा अधिकारियों द्वारा उक्त मार्ग का किये गये परीक्षण के परिपेक्ष्य में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) लेबड़ से मुलथान फोरलेन मार्ग के संबंध में जो प्रश्न किया है, यह पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा एक बार हुई है। मैं माननीय सदस्या जी से निवेदन करूंगा कि पहले तो यह 54 किलोमीटर का नवीनीकरण कर दिया है। शेष 76 किलोमीटर है, उसका कार्य भी तुरन्त प्रारंभ करा दिया जायेगा, जहां तक दुर्घटनाओं की बात है, तो दुर्घटनाओं के लिये, अगर वह हो रही हैं, तो उसके लिये भी हम एक चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी से परीक्षण माननीय सदस्या के समक्ष करा देंगे और जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। (2) आसंदी की पृच्छा/निर्देश:- परीक्षण में जो नोट आया है, उसके अनुसार कार्यवाही करा देंगे क्या ? (3) उसको हम गंभीरता से लेते हुए काम भी शीघ्र प्रारंभ करायेंगे और साथ-साथ में ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका भी परीक्षण होगा। (4) माननीय सदस्या के साथ अधिकारी जायेंगे, उनको पूरा अवगत करायेंगे। (5) जांच भी कराएंगे और अगर अनुबंधों का उल्लंघन किया है तो उस पर कार्यवाही करेंगे। (6) शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। (7) इनका सुझाव अच्छा है, इसे हम गंभीरता से लेंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
209	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.975) दि. 12-03-2018 (श्री अरूण भीमावद)	प्रश्न क्रमांक 1595, दिनांक 04.12.2017 के संदर्भ में शाजापुर मुख्यालय अंतर्गत शाजापुर व्हाया सतगांव-बिजाना मार्ग का दोहरीकरण/उन्नयन कार्य कराया जाना।	(1) आपने प्रस्ताव दिया है इस सड़क की लंबाई 30 किलोमीटर है। इस प्रस्ताव को भी हम गंभीरता से लेंगे और इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे। (2) जिस सड़क के निर्माण की उन्होंने मांग रखी है इसको हम गंभीरता से लेते हुए जल्दी परीक्षण कराकर कार्यवाही करेंगे।		
210	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.1228) दि. 12-03-2018 (श्री मोती कश्यप)	मान.मुख्यमंत्रीजी की घोषणानुसार कटनी एवं जबलपुर जिला के सीमावर्ती सहजपुरी से हिरन नदी पुल तक मार्ग निर्माण कराया जाना.	बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
211	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.124 (प्रश्न क्रं.2880) दि. 12-03-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार)	प्रश्न क्रमांक 2595 दिनांक 04.12.2017 के संदर्भ में राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर सिटीपोर्शन में निर्माणाधीन सी.सी.करण कार्य में अजनार नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी जाना।	रूपये 201.87 लाख के प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
212	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.368) दि. 12-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता के लिये जारी निर्देश/आदेश की परिभाषा का सरलीकरण किया जाना ।	(1) आसन्दी के निर्देश :- मंत्री जी, आपने पहले भी यह कहा है कि संबंधित विभाग के संज्ञान में यह बात लायेंगे । आप विधिवत् इसे संबंधित विभाग के संज्ञान में लायें ताकि माननीय सदस्यों की इच्छा का ध्यान रखा जा सके । (2) महोदय, आपके निर्देशों का पालन होगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
213	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.1635) दि. 12-03-2018 (श्री नथनशाह कवरेती)	जुन्नारदेव के व्यवहार न्यायालय में शीघ्र न्यायाधीशों की पदस्थापना किये जाने के पश्चात् माननीय सदस्य को अवगत कराया जाना.	(1) एक माह में सक्षम स्थायी वित्तीय समिति की बैठक हो जाएगी। (2) उसके बाद माननीय विधायक जी को अवगत करा दिया जाएगा। (3) जल्दी ही चालू होगा।		
214	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.129) दि. 12-03-2018 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले में नोटरी के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाना।	अब नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
215	अतारांकित प्रश्न सं.132 (प्रश्न क्रं.2940) दि. 12-03-2018 (डॉ. मोहन यादव)	प्रदेश में खोले गये A.D.J. कोर्ट में जिला लोक अभियोजक की के पदसृजन की कार्यवाही की जाना।	अतिरिक्त जिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में पदसृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
216	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.527) दि. 12-03-2018 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले में अनाधिकृत भुगतान के दोषी श्री हरीश कुमार रैकवार, प्राचार्य को निलंबित कर जांच समय-सीमा में की जाना।	आज शाम तक सस्पेण्ड कर दिया जाएगा।		
217	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.1267) दि. 12-03-2018 (कुँवर हजारीलाल दांगी)	विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भाटखेडा, दिलावरी, भानपुरा एवं गोघटपुर शाला भवन के निर्माण की स्वीकृति एवं किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने संबंधी कार्यवाही की जाना.	(1) जो जीर्ण-शीर्ण स्कूल हैं जहां पर पानी टपकता है उसकी जांच करवा कर बरसात के पहले रिपेयरिंग करवा दी जाएगी। (2) जहां-जहां जिस-जिस भी दबंग ने मध्यप्रदेश के खेल मैदान और मध्यप्रदेश की स्कूल बिल्डिंग में जहां-जहां जिस-जिस भी दबंग ने अतिक्रमण किया है हम एक माह के अंदर निर्देश जारी कर रहे हैं कि सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात यह कि आप जिन जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसकी जांच करवाकर पात्रता तय कर लेंगे। (3) जहां जमीन स्वीकृत हुई है वहां अतिक्रमण है तो सबसे पहले जहां जमीन स्वीकृत हुई है वहां अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ। एक माह में पूरे प्रदेश से अतिक्रमण हट जाएगा। (4) भाटखेडा की स्थिति के लिए अधिकारी भिजवा दिए जाएंगे और सात-आठ दिन में जांच करके संभव हुआ तो बिल्डिंग को मंजूर।		
218	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.370) दि. 12-03-2018 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भवन एवं बाउण्ड्रीवाल विहीन विद्यालय एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित हाईस्कूल काकागंज एवं हाईस्कूल विटठलनगर का भवन एवं बाउण्ड्रीवाल बनवाई जाना.	(1) शिक्षा के अलावा कहीं खर्च नहीं होगी और एक बिल्डिंग जहां आप बोलेंगे, जो महत्वपूर्ण होगी, उसको इस बजट में हम शामिल करेंगे। (2) समिति संसाधनों में हम लोग बाऊंड्रीवाल के अलावा चेर्निंग फेंसिंग भी कर रहे हैं। नगर पालिका निगम, सागर के साथ, कमिश्नर के साथ, कलेक्टर के साथ और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के साथ माननीय विधायक की मीटिंग के उपरांत, जहां पर जरूरी होगा वहां पर चेर्निंग फेंसिंग मंजूर करेंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.92 (प्रश्न क्रं.2462) दि. 12-03-2018 (श्री शान्तिलाल बिलवाल)	जिला झाबुआ के विकास खण्ड झाबुआ एवं रानापुर अन्तर्गत संचालित माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किया जाना ।	वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
220	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.96 (प्रश्न क्रं.2517) दि. 12-03-2018 (श्री कल्याण सिंह ठाकुर)	जिला विदिशा अन्तर्गत विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, ग्यारसपुर का अस्थाई प्रभार अपात्राधारी अध्यापक को सौंपे जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) प्रकरण की जांच कराई जा रही है । (2) प्रकरण की जांच कराई जा रही गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
221	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्रं.2771) दि. 12-03-2018 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	इन्दौर जिले के शेष सभी पात्र सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाना ।	शेष सभी पात्र सहायक शिक्षकों के आदेश परीक्षणोपरांत 30.04.2018 तक जारी कर दिए जाएंगे । कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण ।		
222	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.113 (प्रश्न क्रं.2772) दि. 12-03-2018 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	इन्दौर जिले शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान युक्तियुक्तकरण के तहत प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन लिये बिना स्थानांतरण आदेश में संशोधन एवं निरस्त किये जाने के लिये संबंधित दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।		
223	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.2842) दि. 12-03-2018 (श्री राजेश सोनकर)	इन्दौर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में छात्र/छात्राओं को शासन की योजनानुसार साईकिल वितरण किया जाना एवं शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाना ।	निःशुल्क साइकिल वितरण की कार्यवाही प्रचलित है । छात्रवृत्ति हेतु पात्र शेष विद्यार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
224	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.144 (प्रश्न क्रं.3028) दि. 12-03-2018 (श्री विष्णु खत्री)	बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुंगरिया, सुकलिया, बरखेड़ा, बरामद, कुल्होर, लांबाखेडा आदि में संचालित माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाना ।	वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
225	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.149 (प्रश्न क्रं.3109) दि. 12-03-2018 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की जाने में की गई अनियमितता एवं प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जी हों। जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
226	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.160 (प्रश्न क्रं.3225) दि. 12-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी)	मा ⁰ उच्च न्यायालय के पारित निर्णय का जिला शिक्षा अधिकारी सतना का पालन न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जी हों। उक्त पत्र के तारतम्य में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के उत्तर के प्रकाश में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
227	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.171 (प्रश्न क्रं.3315) दि. 12-03-2018 (श्री हर्ष यादव)	जनपद पंचायत सिरमौर जिला रीवा द्वारा विकलांग कोटे के तहत श्री प्रभाशंकर शुक्ला की नियुक्ति में विकलांगता भत्ता एवं वृत्ति कर छूट एवं विकलांगता नवीनीकरण के पश्चात जन्मी तीसरी संतान के संबंध में जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
228	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.107) दि. 12-03-2018 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जिला जबलपुर अंतर्गत संविलियन हुये अध्यापकों के वेतन निर्धारण एवं सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत मढा परसवारा में पदस्थ सहायक अध्यापकों की वेतन भिन्नता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना.	सिहोरा विकासखण्ड के अंतर्गत परसवारा के सहायक अध्यापकों के वेतन निर्धारण में भिन्नता के संबंध में जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।		
229	अतारांकित प्रश्न सं.140 (प्रश्न क्रं.2978) दि. 12-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जावरा स्थित मॉडल स्कूल के अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त स्टाफ क्वार्टर को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	प्राक्कलन एवं ड्राइंग की कार्यवाही प्रचलन में है।		
230	अतारांकित प्रश्न सं.150 (प्रश्न क्रं.3104) दि. 12-03-2018 (प्रो. संजीव छोटेलाल उइके)	सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राप्त आंवटन राशि में जिला परियोजना समन्वयक जिला मण्डला द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रक्रियाधीन है।		
231	अतारांकित प्रश्न सं.171 (प्रश्न क्रं.3221) दि. 12-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा निर्दोष श्री सुभाषचन्द्र शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक को नियम विरुद्ध निलम्बन किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	कलेक्टर राजगढ़ को प्रकरण की जांच कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
232	अतारांकित प्रश्न सं.172 (प्रश्न क्रं.3222) दि. 12-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	श्री एस.के. मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं कार्यवाही.	प्राप्त शिकायतों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय स्तर से जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
233	अतारांकित प्रश्न सं.197 (प्रश्न क्रं.3316) दि. 12-03-2018 (श्री हर्ष यादव)	जिला पंचायत रीवा अन्तर्गत श्री प्रभाशंकर शुक्ला सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक कन्या शाला कपसा का नियम विरुद्ध किया गया स्थानांतरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 12-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
234	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.2783) दि. 12-03-2018 (श्री घनश्याम पिरोनियाँ)	विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2194 दिनांक 02.03.2017 के परिपेक्ष्य में सहायक पंजीयक को प्राथमिक साख संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति/निरस्त/पुष्टि करने का अधिकार न होने के बावजूद नियम विरुद्ध पुष्टि करने के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	शेष 03 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
235	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.2886) दि. 12-03-2018 (श्री महेन्द्र सिंह)	गुनौर विधान सभा क्षेत्र अर्न्तगत सहकारी समितियों में सेल्समेन की नियुक्तियों में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	(1) शेष जांच निष्कर्षाधीन। (2) उत्तरांश (ग) अनुसार जांच निष्कर्षाधीन।		
236	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.153 (प्रश्न क्रं.3182) दि. 12-03-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में खाद्यान्न उपार्जन हेतु पंजीकृत कृषकों के व्यक्तिगत बैंक खातों के स्थान पर उपार्जन करने वाली समितियों के बैंक खातों में नियम विरुद्ध राशि जमा कराने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण की जांच कराई जा रही है।		
237	अतारांकित प्रश्न सं.144 (प्रश्न क्रं.3023) दि. 12-03-2018 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल संभागान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं विपणन सहकारी समितियों के अयोग्य संचालकों को हटाया जाना।	05 संचालकों के विरुद्ध पद से पृथक् करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		